



This is a digitally signed Gazette, to verify click here.
<https://rajpatra.hp.gov.in>

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

मंगलवार, 11 अगस्त, 2026 / 20 श्रावण, 1948

हिमाचल प्रदेश सरकार

परिवहन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 17 जुलाई, 2026

संख्या: टीपीटी-ए(3)-8 / 2022.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 48(अ) तारीख 20-01-2026 के साथ पठित केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 167 के उप-नियम (5) द्वारा

प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना तारीख 23-05-2026 के अनुक्रमण में निम्नलिखित अधिकारियों को हिमाचल प्रदेश राज्य के भीतर पुलिस विभाग (ट्रैफिक पुलिस सहित) के प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा जारी किए गए चालानों के न्यायनिर्णयन और निपटान के लिए निवारण प्राधिकारी के रूप में पदाभिहित करते हैं, अर्थात् :-

क्रम संख्या	शमन प्राधिकारी	निवारण प्राधिकारी
1.	निरीक्षक के रैंक तक	संबद्ध पुलिस उप-अधीक्षक अपनी संबंधित अधिकारिता के भीतर।
2.	पुलिस उप-अधीक्षक/अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक	संबद्ध पुलिस अधीक्षक अपनी संबंधित अधिकारिता के भीतर।
3.	पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक	संबद्ध पुलिस उप-महानिरीक्षक अपनी संबंधित अधिकारिता के भीतर।
4.	पुलिस उप-महानिरीक्षक/पुलिस महानिरीक्षक/अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक	पुलिस महानिदेशक
5.	पुलिस महानिदेशक	अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह)/प्रधान सचिव (गृह)/सचिव (गृह) हिमाचल प्रदेश सरकार।

निवारण प्राधिकारी, उक्त नियमों के नियम 167 और विधि के अन्य लागू उपबन्धों के कड़ाई से अनुपालन में चालानों का न्यायनिर्णयन करेंगे, और पारित किए गए समस्त आदेश युक्तियुक्त और आख्यापक होंगे, जिन्हें सम्यक रूप से लिखित में अभिलिखित किया जाएगा। सभी कार्यवाहियों में नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किया जाएगा, और संबंधित प्राधिकारी द्वारा ऐसी कार्यवाहियों का उचित डिजिटल और भौतिक रिकॉर्ड बनाए रखा जाएगा।

यह अधिसूचना राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

आदेश द्वारा,

ओंकार चन्द शर्मा,
अतिरिक्त मुख्य सचिव (परिवहन)।

[Authoritative English Text of this Department Notification No. TPT-A(3)-8/2022, dated 17-07-2026, as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171 002, the 17th July, 2026

File No.TPT-A(3)-8/2022.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (5) of Rule 167 of the Central Motor Vehicle Rules, 1989, read with the notification No. GSR 48 (E) dated 20-01-2026 and in continuation to this department Notification of even number dated 23-05-2026, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to designate the following officers as Redressal

Authorities for adjudication and disposal of challans issued by Enforcement Officers of the Police Department (including Traffic Police) within the State of Himachal Pradesh, namely:—

Sl. No.	Compounding Authority	Redressal Authority
1.	Up to the Rank of Inspector	Dy. Superintendent of Police within their respective jurisdiction.
2.	Dy. Superintendent of Police/Additional Superintendent of Police.	Superintendent of Police within their respective jurisdiction.
3.	Superintendent of Police/Senior Superintendent of Police.	Deputy Inspector General of Police within their respective jurisdiction.
4.	Deputy Inspector General/Inspector General/Additional Director General of Police.	Director General of Police
5.	Director General of Police	Additional Chief Secretary (Home)/Pr. Secretary (Home)/Secretary (Home) to the Government of Himachal Pradesh.

The Redressal Authorities shall adjudicate challans strictly in accordance with Rule 167 of the said rules and other applicable provisions of law, and all orders passed shall be reasoned and speaking orders, duly recorded in writing. The principles of natural justice shall be adhered to in all proceedings, and proper digital as well as physical records of such proceedings shall be maintained by the concerned authority.

This notification shall come into force from the date of publication in Rajpatra(e- Gazette), Himachal Pradesh.

By order,

ONKAR CHAND SHARMA,
Additional Chief Secretary (Transport).

गृह विभाग

अधिसूचना

तारीख शिमला-2, 10 अगस्त, 2026

संख्या: गृह(ए)ए(1)-15/2025.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम, 2007 (2007 का अधिनियम, संख्यांक 17) की धारा 11 की उप-धारा (1) के साथ पठित भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का अधिनियम, संख्यांक 46) की धारा 2 की उप-धारा (1) के खण्ड (प) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पुलिस महानिदेशक, हिमाचल प्रदेश के परामर्श से, इस अधिसूचना के राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से नीचे दी गई अनुसूची के स्तम्भ संख्या (3) में वर्णित गांवों से समाविष्ट, पुलिस थाना तलाई के अन्तर्गत बागछाल स्थित मरोत्तन जिला बिलासपुर में पुलिस चौकी की स्थापना करते हैं, अर्थात् :—

अनुसूची

क्रम संख्या	ग्राम पंचायत का नाम	स्तम्भ संख्या 2 में विनिर्दिष्ट ग्राम पंचायत में अन्तर्विष्ट गांवों के नाम
1.	कलोल	1. लग 2. टिहरी गुरनाडी 3. बकैण

		4. कलोल 5. झरेडी 6. खैरियां भराडी
2.	जेजवीं	1. सुह 2. कुठरेन 3. डरोह 4. भदोल 5. बल्ही मरेटा 6. बैथरी 7. चलावा 8. सिल्वी 9. खेरी 10. छंजोटी 11. सिल्ह 12. माकडी 13. डोहग 14. जबली 15. जेजवीं
3.	सलवाड	1. सलवाड 2. धन्नड 3. सेर 4. मरोतन 5. बल्ह चरोग 6. बड्डु 7. फुफली झुलवाणा 8. भल्यार 9. मलोट 10. ककरैड
4.	धनीपखर	1. पखर 2. पारली 3. धनी 4. धनोला 5. ससोटा 6. खरली
5.	झूडियां	1. टिहरी 2. ढोलगचकनाड 3. झुझणू 4. लदेह
6.	पपरोला	1. पपरोला 2. कोट 3. गाह 4. बुहाड

		5. बैहल 6. ढोल 7. सुन्दरी जिहाद 8. गड़याणा 9. बल्ह फत्तु
7.	भड़ोलीकलां	1. भड़ोली कलां 2. भड़ोलीखुर्द 3. भटेह फलां

आदेश द्वारा,

अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह)।

[Authoritative English text of this Department Notification No. Home(A)A(1)-15/2025, dated 10-08-2026 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India].

HOME DEPARTMENT**NOTIFICATION***Shimla-2, the 10th August, 2026*

No. Home (A)A(1)-15/2025.—In exercise of the powers conferred by clause (u) of sub-section(1) of Section 2 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Act No. 46 of 2023) read with sub-section (1) of Section 11 of the Himachal Pradesh Police Act, 2007 (Act No. 17 of 2007), the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Director General of Police, Himachal Pradesh, is pleased to establish a Police Post Bagchal at Marottan under Police Station Talai, District Bilaspur consisting of the villages enumerated in column No.(3) of the SCHEDULE given below thereof, with effect from the date of publication of this notification in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh, namely :—

SCHEDULE

Sl. No.	Name of Gram Panchayat	Name of Villages contained in Gram Panchayat specified in column No. 2
1.	Kalol	1. Lag 2. Tihri-Gurnadi 3. Bakain 4. Kalol 5. Jhareri 6. Khairiyan-Bharari
2.	Jejwin	1. Suh 2. Kuthern 3. Daroh 4. Bhadol

		5. Balhi-Mareta 6. Baithri 7. Chalawa 8. Silwin 9. Kheri 10. Chanjoti 11. Silh 12. Makri 13. Dohag 14. Jabli 15. Jejwin
3.	Salwar	1. Salwar 2. Dhannad 3. Ser 4. Marotan 5. Balh Charog 6. Baddu 7. Fufli-Jhulwana 8. Bhalyar 9. Malhot 10. Kekerehar
4.	Dhani Pakhar	1. Pakhar 2. Parli 3. Dhani 4. Dhanoula 5. Sasota 6. Kharli
5.	Dudian	1. Tihari 2. Dholag Chaknar 3. Jhunjhnu 4. Ladeh
6.	Paprola	1. Paploa 2. Kot 3. Gah 4. Buhad 5. Behal 6. Dhol 7. Sundri Jihad 8. Gadyana 9. Balah Fatu
7.	Bharoli Kalan	1. Bharoli Kalan 2. Bhadoli Khurd 3. Bhateh Falan

By order,

Additional Chief Secretary (Home).

PERSONNEL DEPARTMENT

(Secretariat Administration Services-I)

NOTIFICATION*Shimla-2, 10th August, 2026*

No.Per(SAS-I)B(2)-3/2023.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to create two (02) posts of Clerk for the O/o Pr. Resident Commissioner, Government of Himachal Pradesh at New Delhi in the establishment of H.P. Secretariat. The posts shall be filled up through direct recruitment strictly in accordance with the Government's Job Trainee Policy, with immediate effect, in the public interest, to strengthen the existing establishment.

By order,

*Secretary (SA).***सामान्य प्रशासन विभाग**

अधिसूचना

06 अगस्त, 2026

संख्या जी ए डी बी (एफ)2-1/2025-III.— जनगणना नियम, 1990 के नियम 8 के 6 (क) और 6 (घ) के साथ पठित जनगणना अधिनियम, 1948 (1948 का 37) की धारा 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली के द्वारा प्रकाशित अधिसूचना संख्या सी.जी.-डी.एल-इ-275116, सं. 4125, का.आ. 4301 (अ), फा. सं. संख्या 9/8/2025-सीडी (सीइएन), असाधारण अधिसूचना, भाग II-धारा 3-उप-धारा (ii) दिनांक 03 अगस्त, 2026, को पुनः राज्य राजपत्र में प्रकाशित करते हुए यह घोषणा करते हैं कि :—

- (i) जनसंख्या की जनगणना हिमाचल प्रदेश के हिमाच्छादित असमकालिक क्षेत्रों में 1 सितंबर, 2026 से 30 सितंबर, 2026 तक किया जाएगा, साथ ही इसका पुनरीक्षण दौर 1 अक्टूबर, 2026 से 5 अक्टूबर, 2026 तक किया जाएगा;
- (ii) उपर्युक्त जनगणना के संचालन के लिए, घर-घर जाकर जनसंख्या गणना प्रारंभ होने से ठीक पहले, 17 अगस्त, 2026 से 31 अगस्त, 2026 तक स्व-गणना का विकल्प उपलब्ध रहेगा;
- (iii) हिमाचल प्रदेश के हिमाच्छादित असमकालिक क्षेत्रों के लिए जनगणना के लिए संदर्भ तारीख अक्टूबर 2026 के पहले दिन को 00.00 बजे होगी; और
- (iv) हिमाचल प्रदेश के हिमाच्छादित असमकालिक क्षेत्रों का ब्यौरा <https://censusindia.gov.in/census.website/data/CGAZ> बेबसाइट पर जाकर प्राप्त किया जा सकता है।

आदेश द्वारा,

के. के. पंत,
मुख्य सचिव,
हिमाचल प्रदेश सरकार।

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Dated the 6th August, 2026

No. GAD-B(F)2-1/2025-III.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Census Act, 1948 (37 of 1948) read with rule 6A and 6D of the Census Rules, 1990, the Governor, Himachal Pradesh, is pleased to re-publish the Notification No. **CG-DL-E-03082026-275116, No. 4125, S.O. 4301(E), F. No. 9/8/2025-CD(Cen), published** in Extraordinary, PART II- Section 3-sub-section (ii) dated 03 August, 2026 **by the Registrar General of India and Census Commissioner, India, Ministry of Home Affairs, New Delhi, in State E-Gazette and the State Government hereby declares that :—**

- (i) The conduct of Census of the population shall be undertaken in the snow-bound non-synchronous areas of the State of Himachal Pradesh from 1st September, 2026 to 30th September, 2026 with a revisional round from 1st October, 2026 to 5th October, 2026;
- (ii) For the conduct of the above Census, there shall be an option for self-enumeration from 17th August, 2026 to 31st August, 2026 just before the start of house to house population enumeration;
- (iii) The Reference date for the Census in the snow-bound non-synchronous areas of the State of Himachal Pradesh shall be 00.00 hours of the first day of October, 2026 and;
- (iv) The details of snow-bound non-synchronous areas of the State of Himachal Pradesh may be accessed by visiting the website-[https://censusindia.gov.in/census.website/ data/CGAZ](https://censusindia.gov.in/census.website/data/CGAZ).

By order,

K.K. PANT,
Chief Secretary.

गृह मंत्रालय
(भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 03 अगस्त, 2026

का.आ. 4301 (अ).—केंद्रीय सरकार, जनगणना नियम, 1990 के नियम 6 (क) और 6 (घ) के साथ पठित जनगणना अधिनियम, 1948 (1948 का 37) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि :—

- (i) जनसंख्या की जनगणना संघ राज्यक्षेत्र लद्दाख और संघ राज्यक्षेत्र जम्मू-कश्मीर के हिमाच्छादित असमकालिक क्षेत्रों और हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड राज्यों के हिमाच्छादित

असमकालिक क्षेत्रों में 1 सितंबर, 2026 से 30 सितंबर, 2026 तक किया जाएगा, साथ ही इसका पुनरीक्षण दौर 1 अक्टूबर, 2026 से 5 अक्टूबर, 2026 तक किया जाएगा;

- (ii) उपर्युक्त जनगणना के संचालन के लिए, घर-घर जाकर जनसंख्या गणना प्रारंभ होने से ठीक पहले, 17 अगस्त, 2026 से 31 अगस्त, 2026 तक स्व-गणना का विकल्प उपलब्ध रहेगा;
- (iii) संघ राज्यक्षेत्र लद्दाख और संघ राज्यक्षेत्र जम्मू-कश्मीर के हिमाच्छादित असमकालिक क्षेत्रों और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों के हिमाच्छादित असमकालिक क्षेत्रों के लिए जनगणना के लिए संदर्भ तारीख अक्टूबर 2026 के पहले दिन को 00.00 बजे होगी; और
- (iv) संघ राज्यक्षेत्र जम्मू-कश्मीर के हिमाच्छादित असमकालिक क्षेत्रों के साथ-साथ हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों के हिमाच्छादित असमकालिक क्षेत्रों का ब्यौरा <https://censusindia.gov.in/census.website/data/CGAZ> बेबसाइट पर जाकर प्राप्त किया जा सकता है।

[फा. सं. 9/8/2025-सीडी (सीइएन)]
मृत्युंजय कुमार नारायण, भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
(Office of Registrar General, India)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd August, 2026

No. S.O. 4301(E).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Census Act, 1948 (37 of 1948) read with rule 6A and 6D of the Census Rules, 1990, the Central Government hereby declares that:—

- (i) The conduct of Census of the population shall be undertaken in the Union territory of Ladakh and the snow-bound non-synchronous areas of the Union territory of Jammu and Kashmir and the snow-bound non-synchronous areas of the States of Himachal Pradesh and Uttarakhand, from 1 September, 2026 to 30th September, 2026 with a revisional round from 1st October, 2026 to 5th October, 2026;
- (ii) For the conduct of the above Census, there shall be an option for self-enumeration from 17th August, 2026 to 31st August, 2026 just before the start of house to house population enumeration;
- (iii) The reference date for the Census in the Union territory of Ladakh and snow bound non-synchronous areas of the Union territory of Jammu and Kashmir and the snow-bound non-synchronous areas of the States of Himachal Pradesh and Uttarakhand shall be 00.00 hours of the first day of October 2026, and
- (iv) The details of snow-bound non-synchronous areas of the Union territory of Jammu and Kashmir as well as the snow-bound non-synchronous areas of the

States of Himachal Pradesh and Uttarakhand may be accessed by visiting the website- <https://censusindia.gov.in/census.website/data/CGAZ>.

[F. No. 9/8/2025-CD(Cen)]
MRITUNJAY KUMAR NARAYAN,
Registrar General and Census Commissioner,
India.

INDUSTRIES DEPARTMENT

A-Section

NOTIFICATION

Shimla, 7th August, 2026

No.IND-A-(A)4-2/2026.—In supersession of all previous notifications issued by this Department regarding constitution of Board of Directors of the H.P. General Industries Corporation Ltd. and in exercise of powers conferred *vide* Section 123(a) and 155 of Memorandum of Articles of Association of H.P. General Industries Corporation Ltd., the Governor, Himachal Pradesh, is pleased to re-constitute the Board of Directors of H.P. General Industries Corporation Ltd. with immediate effect, as under :—

- | | | |
|----|---|---|
| 1. | Sh. Harshwardhan Chauhan
Hon'ble Industries Minister. | . . <i>Chairman</i> |
| 2. | Ms. M. Sudha Devi, I.A.S.
Principal Secretary(Industries), GoH.P. | . . <i>Director</i> |
| 3. | Sh. Aditya Negi, I.A.S.
Director of Industries. | . . <i>Director</i> |
| 4. | Sh. Vijay Wardhan, I.A.S.
Spl. Secretary (Fin.)-cum-
Director, Public Finance Enterprises. | . . <i>Director</i> |
| 5. | Sh. Bhupender Kumar, H.P.A.S.
Managing Director
H.P. General Industries Corporation. | . . <i>Director</i> |
| 6. | Sh. Naresh Thakur, s/o Sh. Gajan Ram,
Vill. Jharlog, P.O. Ladraur, Tehsil Bhoranj
Distt. Hamirpur (H.P.). | . . <i>Director/Non-Official Member</i> |

By order,
Principal Secretary (Inds.).

FOOD, CIVIL SUPPLIES & CONSUMER AFFAIRS DEPARTMENT**NOTIFICATION***Shimla -171 002, the 5th August, 2026*

No. FDS-A(3)-4/2025.—In exercise of the powers conferred by Section 40 of the National Food Security Act, 2013 (Central Act No. 20 of 2013), the Governor, Himachal Pradesh, proposes to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Food Security Rules, 2019 notified *vide* this Department notification No. FDS-A(3)-4/2017, dated 22nd August, 2019 and published in the Rajpatra, Himachal Pradesh Dated 30th August, 2019 and the same are hereby published in the Rajpatra, Himachal Pradesh, for the information of the general public;

If any interested person, likely to be affected by these draft rules has any objection(s)/ suggestion(s) with regard to the proposed rules, he/she may send the written objection(s) or suggestion(s) to the Secretary (FCS & CA) to the Govt. of Himachal Pradesh, H.P. Secretariat, Shimla-171002, within a period of thirty days from the date of publication of the proposed rules in the Rajpatra (e-Gazette) Himachal Pradesh;

The objection(s) or suggestion(s), if any, received within the period stipulated above, shall be taken into consideration by the State Government before finalizing the proposed draft rules, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Food Security (**First Amendment**) Rules, 2026.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.

2. Amendment of rule 14.—After sub-rule (6) of rule 14 of the Himachal Pradesh Food Security Rules, 2019, the following shall be inserted, namely:—

(7) The other terms and condition for the Chairperson, HP State Food Commission shall be as under:—

- (a) The Chairperson of H.P. State Food Commission will be provided a vehicle (hired vehicle) by the State Food Commission, H.P. and its expenditure will be borne by the State Food Commission, H.P. or vehicle allowance @ Rs. 2500/- per month will be provided in place of vehicle facility.
- (b) He will be entitled for road mileage allowance @ Rs. 8.0 per KM (hilly and plain area) while on tour in his own vehicle.
- (c) He will be eligible to countersign his TA/DA bills and for his tour programmes, he himself will be the Controlling Officer.
- (d) He will be entitled for daily allowance @ Rs. 250/- per day while on tour
- (e) He shall be entitled for medical reimbursement as per actual claim
- (f) He will be entitled to the allotment of Government residential accommodation, if available or he will be entitled for the House Rent @

Rs. 25,000/- per month in case he is not provided accommodation by the Government.

- (g) He shall be reporting to the Administrative Secretary (FCS & CA) to the Government of Himachal Pradesh.

By order,

PRIYANKA BASU INGTY,
Secretary (FCS & CA).

ब अदालत जनाब उप-मण्डल दण्डाधिकारी, सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0)

ब मुकद्दमा श्री विपिन कुमार पुत्र श्री रूप लाल, निवासी गांव चमलोग, डाकघर देवली, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0)।

व

श्रीमती अनुपा पुत्री श्री सुन्दर सिंह, निवासी गांव चौगन, डाकघर गलेहा, तहसील कोटखाई, जिला शिमला (हि0प्र0) प्रार्थीगण।

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना—पत्र बराये विवाह पंजीकरण करवाने बारे।

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में प्रार्थी श्री विपिन कुमार पुत्र श्री रूप लाल, निवासी गांव चमलोग, डाकघर देवली, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) व श्रीमती अनुपा पुत्री श्री सुन्दर सिंह, निवासी गांव चौगन, डाकघर गलेहा, तहसील कोटखाई, जिला शिमला हि0प्र0 ने इस अदालत में संयुक्त तौर पर प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत किया है, जिसके अनुसार उन्होंने व्यक्त किया है कि उन्होंने दिनांक 17-05-2022 को व्यवस्थित विवाह हिन्दू रीति—रिवाजों के अनुसार किया है तथा इसकी प्रविष्टि हेतु सचिव, ग्राम पंचायत देवली, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) को निर्देश दिये जावें।

अतः आम जनता को इस नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगण के विवाह की प्रविष्टि दिनांक 17-05-2022 को दर्ज करने बारा कोई एतराज हो तो वह दिनांक 15-08-2026 से पूर्व किसी भी कार्य दिवस पर असालतन या वकालतन इस कार्यालय में उपस्थित होवें अन्यथा श्री विपिन कुमार पुत्र श्री रूप लाल, निवासी गांव चमलोग, डाकघर देवली, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) व श्रीमती अनुपा पुत्री श्री सुन्दर सिंह, निवासी गांव चौगन, डाकघर गलेहा, तहसील कोटखाई, जिला शिमला हि0प्र0 के विवाह की प्रविष्टि करने हेतु सचिव, ग्राम पंचायत देवली, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) को आदेश जारी कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 15-07-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
उप-मण्डल दण्डाधिकारी,
सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0)।

ब अदालत जनाब उप-मण्डल दण्डाधिकारी, सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0)

ब मुकद्दमा श्री राहुल कुमार रतन पुत्र श्री इन्द्र पाल, निवासी गांव बगड़, डाकघर सलनू, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0)।

व

श्रीमती चन्चला कुमारी पुत्री श्री राजेन्द्र कुमार, निवासी गांव बहालम डा0 लुनस, तहसील रामशहर, जिला सोलन (हि0प्र0) प्रार्थीगण।

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना—पत्र बराये विवाह पंजीकरण करवाने बारे।

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में प्रार्थी श्री राहुल कुमार रतन पुत्र श्री इन्द्र पाल, निवासी गांव बगड़, डाकघर सलनू, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) व श्रीमती चन्चला कुमारी पुत्री श्री राजेन्द्र कुमार, निवासी गांव बहालम डा0 लुनस, तहसील रामशहर, जिला सोलन, हि0प्र0 ने इस अदालत में संयुक्त तौर पर प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत किया है, जिसके अनुसार उन्होंने व्यक्त किया है कि उन्होंने दिनांक 12-03-2026 को व्यवस्थित विवाह हिन्दू रीति-रिवाजों के अनुसार किया है तथा इसकी प्रविष्टि हेतु सचिव, ग्राम पंचायत निचली भटेड, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) को निर्देश दिये जावें।

अतः आम जनता को इस नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगण के विवाह की प्रविष्टि दिनांक 12-03-2026 को दर्ज करने बारा कोई एतराज हो तो वह दिनांक 15-08-2026 से पूर्व किसी भी कार्य दिवस पर असालतन या वकालतन इस कार्यालय में उपस्थित होवें अन्यथा श्री राहुल कुमार रतन पुत्र श्री इन्द्र पाल, निवासी गांव बगड़, डाकघर सलनू, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) व श्रीमती चन्चला कुमारी पुत्री श्री राजेन्द्र कुमार, निवासी गांव बहालम डा0 बहालम, तहसील रामशहर, जिला सोलन, हि0प्र0 के विवाह की प्रविष्टि करने हेतु सचिव, ग्राम पंचायत निचली भटेड, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) को आदेश जारी कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 15-07-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
उप-मण्डल दण्डाधिकारी,
सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0)।

ब अदालत नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

श्री करतार सिंह पुत्र स्व0 श्री राजमल, गांव लोणी, डाकघर पुखरी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश वादिया।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत पुखरी, विकास खण्ड चम्बा

प्रतिवादी।

विषय.—मृत्यु तिथि प्रविष्ट करने बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) महोदय चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 6030/2026, दिनांक 31-07-2026 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः

1. जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024/23155, दिनांक 29-07-2026.
2. शपथ पत्र आवेदक
3. शपथ पत्र वाशिनन्दगान देह
4. मृत्यु रिपोर्ट
5. अप्राप्यता प्रमाण-पत्र
6. प्रधान रिपोर्ट।

जिसमें श्री करतार सिंह पुत्र स्व0 श्री राजमल, गांव लोणी, डाकघर पुखरी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश के पिता श्री राजमल पुत्र श्री बसेसर, ग्राम पंचायत पुखरी की मृत्यु तिथि किन्हीं कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणामतः पंचायत मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में आवेदक के पिता श्री राजमल पुत्र श्री बसेसर, ग्राम पंचायत पुखरी की मृत्यु तिथि दर्ज न हुई है जो नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि प्रधान रिपोर्ट व जारी मृत्यु रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण-पत्र जो दिनांक 29-07-2026 को जारी हुआ है उसमें की है।

अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि श्री राजमल पुत्र श्री बसेसर, ग्राम पंचायत पुखरी, परगना त्रयोदी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा की मृत्यु तिथि 24-09-1996 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत के सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इश्तहार) के माध्यम से एक माह के भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदक के पिता श्री राजमल पुत्र श्री बसेसर, ग्राम पंचायत पुखरी, परगना त्रयोदी, की मृत्यु तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश सचिव ग्राम पंचायत पुखरी को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 31-07-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—

नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : /तहसील/रीडर/2026

तारीख पेशी : 29-08-2026

टेक चंद पुत्र लखु, निवासी मुहल्ला गांव मंगला, परगना साच, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत मंगला, विकास खण्ड मैहला

विषय.—जन्म/मृत्यु सम्बन्धित पंजीकरण बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या-5082, दिनांक 10-06-2026 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2026/18558, दिनांक 09-06-2026, शपथ-पत्र, अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, जिसमें प्रार्थी विनय कुमार पुत्र राजेश कुमार, निवासी गांव मंगला, परगना साच, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश के उसके दादा नामक टेक चंद की मृत्यु तिथि 13-11-2001 को किन्हीं कारणों से ग्राम पंचायत मंगला, विकास खण्ड चंबा के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है, जो नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है इसलिए आवेदक ने अनुरोध किया है कि उसके दादा की मृत्यु को ग्राम पंचायत मंगला, विकास खण्ड मैहला के कार्यालय अभिलेख में दर्ज/पंजीकृत किया जाये।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी विनय कुमार पुत्र राजेश कुमार, निवासी गांव मंगला परगना साच, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश के उसके दादा नामक टेक चंद की मृत्यु तिथि 13-11-2001 ग्राम पंचायत मंगला, विकास खण्ड मैहला के कार्यालय के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज/पंजीकृत करने बारा अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इशतहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थी के दादा की मृत्यु को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 29-07-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,
तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : /तहसील/रीडर/2026

तारीख पेशी : 29-08-2026

लेख राज पुत्र हरदियाल, निवासी मुहल्ला/गांव ककीया, परगना पंजला, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत उटीप, विकास खण्ड मैहला

विषय.—जन्म/मृत्यु सम्बन्धित पंजीकरण बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या-शून्य, दिनांक 03-07-2026 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2026/20712, दिनांक 10-07-2026, शपथ-पत्र, अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, जिसमें प्रार्थिया अछरो देवी विधवा लेख राज पुत्र, निवासी गांव ककीया, परगना पंजला, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश के उसके पति नामक लेख राज की मृत्यु तिथि 08-06-2002 को किन्हीं कारणों से ग्राम पंचायत उटीप, विकास खण्ड मैहला के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न

हुई है, जो नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है इसलिए आवेदिका ने अनुरोध किया है कि उसके पति की मृत्यु को ग्राम पंचायत उटीप, विकास खण्ड मैहला के कार्यालय अभिलेख में दर्ज/पंजीकृत किया जाये।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया अछरो देवी विधवा लेख राज पुत्र, निवासी गांव ककीया परगना पंजला, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश के उसके पति की मृत्यु तिथि 08-06-2002 ग्राम पंचायत उटीप, विकास खण्ड मैहला के कार्यालय के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज/पंजीकृत करने बारा अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इशतहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थिया के पति की मृत्यु को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 29-07-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—

कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,
तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

ब अदालत डी0सी0 राणा, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी मैजिस्ट्रेट,
सलूणी, जिला चम्बा (हि0प्र0)

श्रीमती रेलमो पत्नी रमेश कुमार, निवासी गांव भिरडो, परगना जून्ढ, तहसील सलूणी, जिला चम्बा,
हिमाचल प्रदेश वादिया।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

उनवान मुकद्दमा.—जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13 (3) के अन्तर्गत विलंबित जन्म/मृत्यु पंजीकरण करने बारे।

श्रीमती रेलमो पत्नी रमेश कुमार, निवासी गांव भिरडो, परगना जून्ढ, तहसील सलूणी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में प्रार्थना—पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि उनकी भतीजी/भान्जी उर्वशी का जन्म दिनांक 18-04-2012 को गांव लान्गोई, ग्राम पंचायत किहार, तहसील सलूणी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में हुआ था लेकिन वह अज्ञानतावश जन्म का पंजीकरण ग्राम पंचायत किहार, तहसील सलूणी, जिला चम्बा के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में दर्ज नहीं करवा सके। अतः ग्राम पंचायत किहार के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में उसका जन्म का विलंबित पंजीकरण करने के आदेश पारित किए जाएं।

अतः उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे सर्वसाधारण व आम जनता को इस राजपत्र इशतहार व मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई उजर/एतराज हो तो उजरकर्ता दिनांक 27-08-2026 को प्रातः 10.00 बजे इस मुकद्दमा की पैरवी हेतु व्यक्तिगत रूप से अथवा किसी अधिकृत एजेंट के माध्यम से या किसी अधिवक्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर उजर पेश कर सकता है। गैरहाजिरी की सूरत में मुताबिक प्रार्थना—पत्र जन्म पंजीकरण करने हेतु आदेश पारित कर दिये जाएंगे एवं तारीख पेशी 27-08-2026 के बाद कोई भी उजर/एतराज विचारणीय न होगा।

आज दिनांक 27-07-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—

नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी मैजिस्ट्रेट,
सलूणी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

**ब अदालत डी0सी0 राणा, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी मैजिस्ट्रेट,
सलूणी, जिला चम्बा (हि0प्र0)**

श्री ज्ञान चन्द पुत्र नेगी राम, निवासी गांव ब्याटा, परगना डियूर, तहसील सलूणी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश वादी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

उनवान मुकद्दमा.—जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13 (3) के अन्तर्गत विलंबित जन्म/मृत्यु पंजीकरण करने बारे।

श्री ज्ञान चन्द पुत्र नेगी राम, निवासी गांव ब्याटा, परगना डियूर, तहसील सलूणी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि उसका जन्म दिनांक 23-04-1979 को ग्राम पंचायत लनोट, तहसील सलूणी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में हुआ था लेकिन वह अज्ञानतावश जन्म का पंजीकरण ग्राम पंचायत लनोट, तहसील सलूणी, जिला चम्बा के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में दर्ज नहीं करवा सके। अतः ग्राम पंचायत लनोट के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में उसका जन्म का विलंबित पंजीकरण करने के आदेश पारित किए जाएं।

अतः उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे सर्वसाधारण व आम जनता को इस राजपत्र इश्तहार व मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई उजर/एतराज हो तो उजरकर्ता दिनांक 27-08-2026 को प्रातः 10.00 बजे इस मुकद्दमा की पैरवी हेतु व्यक्तिगत रूप से अथवा किसी अधिकृत एजेंट के माध्यम से या किसी अधिवक्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर उजर पेश कर सकता है। गैरहाजिरी की सूरत में मुताबिक प्रार्थना-पत्र जन्म पंजीकरण करने हेतु आदेश पारित कर दिये जाएंगे एवं तारीख पेशी 27-08-2026 के बाद कोई भी उजर/एतराज विचारणीय न होगा।

आज दिनांक 27-07-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी मैजिस्ट्रेट,
सलूणी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

**ब अदालत डी0सी0 राणा, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी मैजिस्ट्रेट,
सलूणी, जिला चम्बा (हि0प्र0)**

श्री शफी मुहम्मद पुत्र अहमद दीन, निवासी गांव मकोली, परगना डियूर, तहसील सलूणी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश वादी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

उनवान मुकद्दमा.—जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13 (3) के अन्तर्गत विलंबित जन्म/मृत्यु पंजीकरण करने बारे।

श्री शफी मुहम्मद पुत्र अहमद दीन, निवासी गांव मकोली, परगना डियूर, तहसील सलूणी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि उनका जन्म दिनांक 07-06-1967 को ग्राम पंचायत पिछला डियूर, तहसील सलूणी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में हुआ था

लेकिन वह अज्ञानतावश जन्म का पंजीकरण ग्राम पंचायत पिछला डियूर, तहसील सलूणी, जिला चम्बा के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में दर्ज नहीं करवा सके। अतः ग्राम पंचायत पिछला डियूर के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में उसका जन्म का विलंबित पंजीकरण करने के आदेश पारित किए जाएं।

अतः उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे सर्वसाधारण व आम जनता को इस राजपत्र इश्तहार व मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई उजर/एतराज हो तो उजरकर्ता दिनांक 27-08-2026 को प्रातः 10.00 बजे इस मुकद्दमा की पैरवी हेतु व्यक्तिगत रूप से अथवा किसी अधिकृत एजेंट के माध्यम से या किसी अधिवक्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर उजर पेश कर सकता है। गैरहाजिरी की सूरत में मुताबिक प्रार्थना-पत्र जन्म पंजीकरण करने हेतु आदेश पारित कर दिये जाएंगे एवं तारीख पेशी 27-08-2026 के बाद कोई भी उजर/एतराज विचारणीय न होगा।

आज दिनांक 27-07-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी मैजिस्ट्रेट,
सलूणी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

**ब अदालत डी0सी0 राणा, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी मैजिस्ट्रेट,
सलूणी, जिला चम्बा (हि0प्र0)**

श्री रत्न चन्द पुत्र लखमी राम, निवासी गांव एवं परगना मन्जीर, तहसील सलूणी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश वादी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

उनवान मुकद्दमा.—जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13 (3) के अन्तर्गत विलंबित जन्म/मृत्यु पंजीकरण करने बारे।

श्री रत्न चन्द पुत्र लखमी राम, निवासी गांव एवं परगना मन्जीर, तहसील सलूणी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि उनके पुत्र अनमोल ठाकुर का जन्म दिनांक 01-01-2014 को ग्राम पंचायत मन्जीर, तहसील सलूणी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में हुआ था लेकिन वह अज्ञानतावश उनके जन्म का पंजीकरण ग्राम पंचायत मन्जीर, तहसील सलूणी, जिला चम्बा के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में दर्ज नहीं करवा सके। अतः ग्राम पंचायत मन्जीर के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में उसका जन्म का विलंबित पंजीकरण करने के आदेश पारित किए जाएं।

अतः उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे सर्वसाधारण व आम जनता को इस राजपत्र इश्तहार व मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई उजर/एतराज हो तो उजरकर्ता दिनांक 27-08-2026 को प्रातः 10.00 बजे इस मुकद्दमा की पैरवी हेतु व्यक्तिगत रूप से अथवा किसी अधिकृत एजेंट के माध्यम से या किसी अधिवक्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर उजर पेश कर सकता है। गैरहाजिरी की सूरत में मुताबिक प्रार्थना-पत्र जन्म पंजीकरण करने हेतु आदेश पारित कर दिये जाएंगे एवं तारीख पेशी 27-08-2026 के बाद कोई भी उजर/एतराज विचारणीय न होगा।

आज दिनांक 27-07-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी मैजिस्ट्रेट,
सलूणी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

**ब अदालत डी0सी0 राणा, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी मैजिस्ट्रेट,
सलूणी, जिला चम्बा (हि0प्र0)**

श्रीमती रेलमो पुत्री लोचू, निवासी गांव बन्दोखी, परगना जून्ढ, तहसील सलूणी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश वादिया।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

उनवान मुकद्दमा.—जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13 (3) के अन्तर्गत विलंबित जन्म/मृत्यु पंजीकरण करने बारे।

श्रीमती रेलमो पुत्री लोचू, निवासी गांव बन्दोखी, परगना जून्ढ, तहसील सलूणी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में प्रार्थना—पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि उनका जन्म दिनांक 12-07-1978 को ग्राम पंचायत पुखरी, तहसील सलूणी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में हुआ था लेकिन वह अज्ञानतावश जन्म का पंजीकरण ग्राम पंचायत पुखरी, तहसील सलूणी, जिला चम्बा के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में दर्ज नहीं करवा सके। अतः ग्राम पंचायत पुखरी के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में उसका जन्म का विलंबित पंजीकरण करने के आदेश पारित किए जाएं।

अतः उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे सर्वसाधारण व आम जनता को इस राजपत्र इश्तहार व मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई उजर/एतराज हो तो उजरकर्ता दिनांक 27-08-2026 को प्रातः 10.00 बजे इस मुकद्दमा की पैरवी हेतु व्यक्तिगत रूप से अथवा किसी अधिकृत एजेंट के माध्यम से या किसी अधिवक्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर उजर पेश कर सकता है। गैरहाजिरी की सूरत में मुताबिक प्रार्थना—पत्र जन्म पंजीकरण करने हेतु आदेश पारित कर दिये जाएंगे एवं तारीख पेशी 27-08-2026 के बाद कोई भी उजर/एतराज विचारणीय न होगा।

आज दिनांक 27-07-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी मैजिस्ट्रेट,
सलूणी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

**ब अदालत डी0सी0 राणा, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी मैजिस्ट्रेट,
सलूणी, जिला चम्बा (हि0प्र0)**

श्रीमती भान्तो पुत्री दित्ता, निवासी गांव गलिया, परगना जून्ढ, तहसील सलूणी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश वादिया।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

उनवान मुकद्दमा.—जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13 (3) के अन्तर्गत विलंबित जन्म/मृत्यु पंजीकरण करने बारे।

श्रीमती भान्तो पुत्री दित्ता, निवासी गांव गलिया, परगना जून्ढ, तहसील सलूणी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में प्रार्थना—पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि उनका जन्म दिनांक 01-07-1966 को

ग्राम पंचायत खरल, तहसील सलूणी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में हुआ था लेकिन वह अज्ञानतावश जन्म का पंजीकरण ग्राम पंचायत खरल, तहसील सलूणी, जिला चम्बा के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में दर्ज नहीं करवा सके। अतः ग्राम पंचायत खरल के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में उसका जन्म का विलंबित पंजीकरण करने के आदेश पारित किए जाएं।

अतः उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे सर्वसाधारण व आम जनता को इस राजपत्र इश्तहार व मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई उजर/एतराज हो तो उजरकर्ता दिनांक 27-08-2026 को प्रातः 10.00 बजे इस मुकद्दमा की पैरवी हेतु व्यक्तिगत रूप से अथवा किसी अधिकृत एजेंट के माध्यम से या किसी अधिवक्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर उजर पेश कर सकता है। गैरहाजिरी की सूरत में मुताबिक प्रार्थना-पत्र जन्म पंजीकरण करने हेतु आदेश पारित कर दिये जाएंगे एवं तारीख पेशी 27-08-2026 के बाद कोई भी उजर/एतराज विचारणीय न होगा।

आज दिनांक 27-07-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी मैजिस्ट्रेट,
सलूणी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

**ब अदालत डी0सी0 राणा, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी मैजिस्ट्रेट,
सलूणी, जिला चम्बा (हि0प्र0)**

श्रीमती प्रेमा पुत्री चिमनु, निवासी गांव भड़ेला, परगना हिमगिरी, तहसील सलूणी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश वादिया।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

उनवान मुकद्दमा.—जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13 (3) के अन्तर्गत विलंबित जन्म/मृत्यु पंजीकरण करने बारे।

श्रीमती प्रेमा पुत्री चिमनु, निवासी गांव भड़ेला, परगना हिमगिरी, तहसील सलूणी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि उनका जन्म दिनांक 01-01-1964 को ग्राम पंचायत भड़ेला, तहसील सलूणी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में हुआ था लेकिन वह अज्ञानतावश जन्म का पंजीकरण ग्राम पंचायत भड़ेला, तहसील सलूणी, जिला चम्बा के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में दर्ज नहीं करवा सके। अतः ग्राम पंचायत भड़ेला के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में उसका जन्म का विलंबित पंजीकरण करने के आदेश पारित किए जाएं।

अतः उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे सर्वसाधारण व आम जनता को इस राजपत्र इश्तहार व मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई उजर/एतराज हो तो उजरकर्ता दिनांक 27-08-2026 को प्रातः 10.00 बजे इस मुकद्दमा की पैरवी हेतु व्यक्तिगत रूप से अथवा किसी अधिकृत एजेंट के माध्यम से या किसी अधिवक्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर उजर पेश कर सकता है। गैरहाजिरी की सूरत में मुताबिक प्रार्थना-पत्र जन्म पंजीकरण करने हेतु आदेश पारित कर दिये जाएंगे एवं तारीख पेशी 27-08-2026 के बाद कोई भी उजर/एतराज विचारणीय न होगा।

आज दिनांक 27-07-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी मैजिस्ट्रेट,
सलूणी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

**ब अदालत डी0सी0 राणा, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी मैजिस्ट्रेट,
सलूणी, जिला चम्बा (हि0प्र0)**

श्रीमती घुन्धरी पुत्री राम किशन, निवासी गांव लान्गोई, परगना किहार, तहसील सलूणी, जिला चम्बा,
हिमाचल प्रदेश वादिया।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

उनवान मुकद्दमा.—जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13 (3) के अन्तर्गत विलंबित जन्म/मृत्यु पंजीकरण करने बारे।

श्रीमती घुन्धरी पुत्री राम किशन, निवासी गांव लान्गोई, परगना किहार, तहसील सलूणी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश न इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्रे गुजार कर निवेदन किया है कि उनका जन्म दिनांक 02-05-1952 को ग्राम पंचायत किहार, तहसील सलूणी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में हुआ था लेकिन वह अज्ञानतावश जन्म का पंजीकरण ग्राम पंचायत किहार, तहसील सलूणी, जिला चम्बा के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में दर्ज नहीं करवा सके। अतः ग्राम पंचायत किहार के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में उसका जन्म का विलंबित पंजीकरण करने के आदेश पारित किए जाएं।

अतः उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे सर्वसाधारण व आम जनता को इस राजपत्र इश्तहार व मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई उजर/एतराज हो तो उजरकर्ता दिनांक 27-08-2026 को प्रातः 10.00 बजे इस मुकद्दमा की पैरवी हेतु व्यक्तिगत रूप से अथवा किसी अधिकृत एजेंट के माध्यम से या किसी अधिवक्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर उजर पेश कर सकता है। गैरहाजिरी की सूरत में मुताबिक प्रार्थना-पत्र जन्म पंजीकरण करने हेतु आदेश पारित कर दिये जाएंगे एवं तारीख पेशी 27-08-2026 के बाद कोई भी उजर/एतराज विचारणीय न होगा।

आज दिनांक 27-07-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी मैजिस्ट्रेट,
सलूणी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

**ब अदालत डी0सी0 राणा, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी मैजिस्ट्रेट,
सलूणी, जिला चम्बा (हि0प्र0)**

श्री इब्राहिम पुत्र अली मुहम्मद, निवासी गांव जुवान्स, परगना भान्दल, तहसील सलूणी, जिला चम्बा,
हिमाचल प्रदेश वादी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

उनवान मुकद्दमा.—जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13 (3) के अन्तर्गत विलंबित जन्म/मृत्यु पंजीकरण करने बारे।

श्री इब्राहिम पुत्र अली मुहम्मद, निवासी गांव जुवान्स, परगना भान्दल, तहसील सलूणी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि उनका जन्म दिनांक

09-06-1958 को ग्राम पंचायत सनूह, तहसील सलूणी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में हुआ था लेकिन वह अज्ञानतावश उनके जन्म का पंजीकरण ग्राम पंचायत सनूह, तहसील सलूणी, जिला चम्बा के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में दर्ज नहीं करवा सके। अतः ग्राम पंचायत सनूह के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में उसका जन्म का विलंबित पंजीकरण करने के आदेश पारित किए जाएं।

अतः उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे सर्वसाधारण व आम जनता को इस राजपत्र इशतहार व मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई उजर/एतराज हो तो उजरकर्ता दिनांक 27-08-2026 को प्रातः 10.00 बजे इस मुकद्दमा की पैरवी हेतु व्यक्तिगत रूप से अथवा किसी अधिकृत एजेंट के माध्यम से या किसी अधिवक्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर उजर पेश कर सकता है। गैरहाजिरी की सूरत में मुताबिक प्रार्थना-पत्र जन्म पंजीकरण करने हेतु आदेश पारित कर दिये जाएंगे एवं तारीख पेशी 27-08-2026 के बाद कोई भी उजर/एतराज विचारणीय न होगा।

आज दिनांक 27-07-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी मैजिस्ट्रेट,
सलूणी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी भोरंज, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)

1. अजय कुमार पुत्र श्री संन्तोष कुमार, गांव बजड़ोह, डा0 बधानी, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

2. रीनू पुत्री रघुवीर, गांव मैरे, डा0 मैरे मझारा, तहसील बदायूं, उत्तर प्रदेश। प्रार्थी।

बनाम

आम जनता प्रतिवादी।

विषय.—विवाह पंजीकरण अधीन धारा 8(4) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996 के अधीन दर्ज करवाने बारे।

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में प्रार्थी श्री अजय कुमार व रीनू का प्रार्थना-पत्र इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है कि उन्होंने दिनांक 03-04-2026 को हिन्दू रीति-रिवाजों के अनुसार विवाह किया है लेकिन किसी कारणवश वह ग्राम पंचायत बधानी, तहसील भोरंज में दर्ज नहीं हो सका। प्रार्थी अब इस विवाह को ग्राम पंचायत बधानी में दर्ज करवाना चाहते हैं।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि इस विवाह पंजीकरण बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन/वकालतन हाजिर होकर दिनांक 07-09-2026 तक एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जायेगी। उसके बाद का उजर जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक 31-07-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
उप-मण्डल दण्डाधिकारी एवं,
विवाह पंजीकरण अधिकारी,
भोरंज, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

**In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Bhoranj,
Distt. Hamirpur (H. P.)**

1. Amit Kumar s/o Sh. Raj Kumar, Village Khatrwar, P.O. Tikkari Minhasa, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (H.P.) age 21 years old.

2. Riya Pathania d/o Sh. Sunil Pathania, Village Sarli, P.O. Chamned, Sub-Tehsil Lambloo, District Hamirpur aged 18 years old.

Versus

General Public

Subject.—Notice of intended Marriage.

Sh. Amit Kumar and Riya Pathania have filed an application u/s 5 of Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavits and supporting documents in the court of undersigned in which they have stated that they have intend to solemnized their marriage with in next three calendar months.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that if any person who has any objection regarding this marriage can file the objections personally or in writing before this court on or before 07-09-2026. In case no objection is received by 07-09-2026 it will be presumed that there is no objection to the above said marriage and the same will allowed accordingly.

Issued today on 31-07-2026 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

*Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Bhoranj, Distt. Hamirpur (H.P.).*

**In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Bhoranj,
Distt. Hamirpur (H.P.)**

1. Sh. Pankaj Sharma s/o Sh. Ashok Kumar Sharma, Village Kalyal, P.O. Bahanwin, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (H.P.) 39 years old.

2. Pooja Sharma d/o Sh. Harish Kumar, House No. B-14-2364, Street No. 08, Amarpura Ludhiana, Punjab 35 years old

..Applicants.

Versus

General Public

Sh. Pankaj Sharma s/o Sh. Ashok Kumar Sharma, Village Kalyal, P.O. Bahanwin, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (H.P.) 39 years old and Pooja Sharma d/o Sh. Harish Kumar, House No. B-14-2364, Street No. 08, Amarpura Ludhiana, Punjab have filed an application alongwith affidavits in the court under Section 16 of Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by the

Marriage laws amendment by Act 01, 49 of 2001) that they have solemnized their marriage ceremony on dated 09-07-26 at Santoshi Mata Mandir Ladrour as per Hindu Rites and Customs and they are living together as husband and wife since then. Hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that if any person who has any objection regarding this marriage can file the objections personally or in writing before this court on or before 05-09-2026 after that no objection will be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 31-07-2026 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

*Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Bhoranj, Distt. Hamirpur (H.P.).*

**In the Court of Assistant Collector 1st Grade, Bhoranj,
District Hamirpur (H.P.)**

Case No 7057282/2026 :

Uttam Chand & Another

.. Applicant.

Versus

1. State of Himachal Pradesh through Collector, Hamirpur
2. Tulsi s/o Sh. Prabhu s/o Naurang, r/o Village Keharwin, Tappa Bamson, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (H.P.).
3. Desh Raj s/o Tulsi s/o Gania, r/o Village Keharwin, Tappa Bamson, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (H.P.)

Proclamation

. Respondent.

Whereas, the above-mentioned case under Section 37 of the Himachal Pradesh Land Revenue Act, 1954 is pending before this Court and whereas Respondent No. 2, namely Tulsi s/o Sh. Prabhu s/o Naurang, r/o Village Keharwin, Tappa Bamson, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (H.P.), could not be served with notice in the ordinary course despite due efforts.

Now, therefore, by way of this proclamation to be published in the Official Gazette and/or a leading newspaper, the said Respondent No. 2 is hereby directed to appear before this Court either in person or through a duly authorized counsel, on 28-08-2026 at 11.00 A.M. to answer the claim made in the above-mentioned application relating to the correction of the revenue record concerning the land comprised in Khata No. 85, Khatauni Nos. 166 & 167, Khasra Nos. 941/133 and 130, situated at Mohal Keharwin, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur, H.P. Take notice that in the event of failure to appear on the date fixed the matter shall be heard and decided *ex parte* in accordance with law, without any further notice.

Given under my hand and seal of the court on this 29th day of July, 2026.

Seal.

Sd/-

*Assistant Collector 1st Grade,
Bhoranj, District Hamirpur (H.P.).*

ब अदालत श्री हरीश कुमार तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील मुलथान,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 708669/2026

तारीख पेशी : 29-08-2026

टेक चन्द पुत्र श्री नानक चन्द, गांव नलहोता, डा0 बड़ागां, तहसील मुलथान, जिला काँगड़ा (हि0प्र0)
वादी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

आवेदन पत्र बाबत जेर धारा 13(3) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत।

उपरोक्त विषय से सम्बन्धित मुकद्दमा इस अदालत में विचाराधीन है, जिसमें वादी टेक चन्द पुत्र श्री नानक चन्द, गांव नलहोता, डा0 बड़ागां, तहसील मुलथान, जिला काँगड़ा (हि0प्र0) ने प्रार्थना की है कि उसका जन्म दिनांक 21-10-1966 को गांव नलहोता, डा0 बड़ागां, तहसील मुलथान, जिला काँगड़ा (हि0प्र0) में हुआ है। वादी की जन्म तिथि ग्राम पंचायत के रिकार्ड जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में अज्ञानता व भूलवश के कारण समय पर दर्ज नहीं करवा सके तथा अब सम्बन्धित ग्राम पंचायत सचिव ग्राम पंचायत बड़ागां को दर्ज करने के आदेश पारित करने की प्रार्थना की है।

अतः इस इशतहार राजपत्र द्वारा प्रतिवादी आम जनता को सूचित किया जाता है कि वादी का जन्म दिनांक 21-10-1966 को ग्राम पंचायत बड़ागां के अभिलेख जन्म एवं पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 29-08-2026 को इस न्यायालय में असागतन या वकालतन हाजिर आकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में निर्धारित तिथि के बाद किसी प्रकार का कोई भी उजर व एतराज स्वीकार्य न होगा तथा नियमानुसार उपरोक्त जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 01-08-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

तहसील एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
तहसील मुलथान, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री हरीश कुमार तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील मुलथान,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 708668/2026

तारीख पेशी : 29-08-2026

पानो देवी पुत्री श्री थूगलू, हाल पता पत्नी भाग चन्द, गांव तरमेहर, डा0 लोहारड़ी, तहसील मुलथान,
जिला काँगड़ा (हि0प्र0)
वादिा।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

आवेदन पत्र बाबत जेर धारा 13(3) भू राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत।

उपरोक्त विषय से सम्बन्धित मुकद्दमा इस अदालत में विचाराधीन है, जिसमें वादिया पानो देवी पुत्री श्री थूगलू, हाल पता पत्नी भाग चन्द, गांव तरमेहर, डा0 लोहारड़ी, तहसील मुलथान, जिला काँगड़ा (हि0प्र0) ने प्रार्थना की है कि उसका जन्म दिनांक 15-09-1960 को गांव तरमेहर, डा0 लोहारड़ी, तहसील मुलथान, जिला काँगड़ा (हि0प्र0) में हुआ है। वादिया की जन्म तिथि ग्राम पंचायत के रिकार्ड जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में अज्ञानता व भूलवश के कारण समय पर दर्ज नहीं करवा सकी तथा अब सम्बन्धित ग्राम पंचायत सचिव ग्राम पंचायत लुआई को दर्ज करने के आदेश पारित करने की प्रार्थना की है।

अतः इस इशतहार राजपत्र द्वारा प्रतिवादी आम जनता को सूचित किया जाता है कि वादिया का जन्म दिनांक 15-09-1960 को ग्राम पंचायत लुआई के अभिलेख जन्म एवं पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 29-08-2026 को इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में निर्धारित तिथि के बाद किसी प्रकार का कोई भी उजर व एतराज स्वीकार्य न होगा तथा नियमानुसार उपरोक्त जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 01-08-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
तहसील मुलथान, जिला काँगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री हरीश कुमार तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील मुलथान,
जिला काँगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 708662/2026

तारीख पेशी : 18-08-2026

रामी देवी पुत्री श्री सुन्दर सिंह, गांव अन्दरली मलाह, डा0 लोहारड़ी, तहसील मुलथान, जिला काँगड़ा (हि0प्र0) वादिया।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

आवेदन पत्र बाबत जेर धारा 13(3) भू राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत।

उपरोक्त विषय से सम्बन्धित मुकद्दमा इस अदालत में विचाराधीन है, जिसमें वादिया रामी देवी पुत्री श्री सुन्दर सिंह, गांव अन्दरली मलाह, डा0 लोहारड़ी, तहसील मुलथान, जिला काँगड़ा (हि0प्र0) ने प्रार्थना की है कि उसका जन्म दिनांक 01-07-1983 को गांव अन्दरली मलाह, डा0 लोहारड़ी, तहसील मुलथान, जिला काँगड़ा (हि0प्र0) में हुआ है। वादिया की जन्म तिथि ग्राम पंचायत के रिकार्ड जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में अज्ञानता व भूलवश के कारण समय पर दर्ज नहीं करवा सके तथा अब सम्बन्धित ग्राम पंचायत सचिव ग्राम पंचायत पोलिंग को दर्ज करने के आदेश पारित करने की प्रार्थना की है।

अतः इस इशतहार राजपत्र द्वारा प्रतिवादी आम जनता को सूचित किया जाता है कि वादिया का जन्म दिनांक 01-07-1983 को ग्राम पंचायत पोलिंग के अभिलेख जन्म एवं पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 18-08-2026 को इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में निर्धारित तिथि के बाद किसी प्रकार का कोई भी उजर व एतराज स्वीकार्य न होगा तथा नियमानुसार उपरोक्त जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 01-08-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
तहसील एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
तहसील मुलथान, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

In the Court of Sh. Raman Kumar Sharma, HPAS, Sub-Divisional Magistrate-cum-Marriage Officer Fatehpur, Distt. Kangra (H.P.)

1. Sh. Vipin Kumar s/o Sh. Suresh Singh, Village Khor, P.O. Baroona, Tehsil Fatehpur, Distt. Kangra (H.P.).

2. Smt. Chandni Kumari d/o Sh. Photo Paswan, r/o Vill. Simanpur, P.O. Amour, Distt. Godda, Jharkhand

Versus

General Public.

Subject.—Application for the registration of Marriage under Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by Marriage Law (Amendment Act 01, 49 of 2001).

Sh. Vipin Kumar s/o Sh. Suresh Singh, Village Khor, P.O. Baroona, Tehsil Fatehpur, Distt. Kangra (H.P.) and Smt. Chandni Kumari d/o Sh. Photo Paswan, r/o Vill. Simanpur, P.O. Amour, Distt. Godda, Jharkhand have filed an application alongwith affidavits in this court under Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by the Marriage Laws (amendment Act 01, 49 of 2001) that they have solemnized their marriage ceremony on 15-03-2026 at Mandir Shri Nar Singh Thakran Mandir Fatehpur, Tehsil Fatehpur as per Hindu Rites and Customs and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding the registration of this marriage can file the objection personally in writing before this court on or before 14-08-2026. After that no objection will be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 16-07-2026 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-
*Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Fatehpur, Distt. Kangra (H.P.).*

In the Court of Sh. Dharmesh Kumar, HAS, Sub-Divisional Magistrate, Rohru, District Shimla (H.P.)

1. Kailash s/o Sh. Kalag Ram, r/o V.P.O. Kadiwan, Tehsil Tikkar, Distt. Shimla Himachal Pradesh.

2. Pushpa Devi d/o Sh. Jagdish, r/o Village Bhaloon, P.O. Sungari, Tehsil Rohru, District Shimla, Himachal Pradesh
.. Applicants.

Versus

General Public

. . Respondents.

Subject .—Registration of Marriage under H.P. Registration of Marriage Act, 1996.

Whereas, the above named applicants have made an application of Marriage under H.P. Registration of Marriage Act, 1996 alongwith an affidavits stating therein that they have solemnized their marriage on 11th Day of December, 2025 at Village Kadiwan, P.O. Kadiwan, Tehsil Tikkar, District Shimla, H.P. but this marriage has not been entered in the records of the Gram Panchayat Kadiwan, Block Rohru, Distt. Shimla, H.P. and whereas, the applicants have prayed that necessary order for the registration of thrie of their marriage.

Now, therefore, objections are invited from the general public that if anyone has any objection regarding the registration of the marriage of the above named applicants, they should appear before the court of undersigned within 30 days from the publication of this notice, either personally or through their authorized agent. In the event of their failure to do so, it would be deemed that there is no objection to the proposed registration of marriage and orders shall be passed *ex-parte* for the registration of marriage without affording any further opportunity of being heard.

Issued under my hand and seal of the court on this 31st day of July, 2026.

Seal.

Sd/-
(DHARMESH KUMAR, HAS),
Sub-Divisional Magistrate,
Rohru, District Shimla (H.P.).

**In the Court of Sh. Dharmesh Kumar, HAS, Sub-Divisional Magistrate, Rohru,
District Shimla (H.P.)**

1. Sh. Manish Balnatah s/o Sh. Dev Raj, r/o Village Andreothi, P.O. Kui, Tehsil Rohru, Distt. Shimla, Himachal Pradesh.

2. Ms. Divya Sharma d/o Sh. Ramesh Chand, r/o Village Bharot, P.O. Turan, Tehsil Jubble, District Shimla, Himachal Pradesh . . Applicants.

Versus

General Public

. . Respondents.

Subject .—Registration of Marriage under H.P. Registration of Marriage Act, 1996.

Whereas, the above named applicants have made an application of Marriage under H.P. Registration of Marriage Act, 1996 alongwith an affidavits stating therein that they have solemnized their marriage on 19th October, 2023 at Village Andreothi, P.O. Kui, Tehsil Rohru, Distt. Shimla, H.P. but this marriage has not been entered in the records of the Gram Panchayat Kui, Block Rohru, Distt. Shimla, H.P. and whereas, the applicants have prayed that necessary order for the registration of thrie of their marriage.

Now, therefore, objections are invited from the general public that if anyone has any objection regarding the registration of the marriage of the above named applicants, they should appear before the court of undersigned within 30 days from the publication of this notice, either personally or through their authorized agent. In the event of their failure to do so, it would be deemed that there is no objection to the proposed registration of marriage and orders shall be passed *ex-parte* for the registration of marriage without affording any further opportunity of being heard.

Issued under my hand and seal of the court on this 01st day of August, 2026.

Seal.

Sd/-
(DHARMESH KUMAR, HAS)
*Sub-Divisional Magistrate,
Rohru, District Shimla (H.P.).*

**In the Court of Dwij Goel, IAS, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Paonta Sahib, District Sirmaur (H.P.)**

In the matter of :

1. Sh. Arun Sharma s/o Sh. Rajnand Sharma, r/o H. No. 97 A Ward No. 09, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur (H.P.).
2. Amandeep Kaur d/o Sh. Boota Singh, r/o # 488, Rajgarh Kubbe, Bathinda, Punjab-151 509.

Versus

General Public

Application for the registration of Marriage under Section 15 of Special Marriage Act, 1954.

Sh. Arun Sharma s/o Sh. Rajnand Sharma, r/o H. No. 97 A Ward No. 09, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur (H.P.) and Amandeep Kaur d/o Sh. Boota Singh, r/o # 488, Rajgarh Kubbe, Bathinda, Punjab-151 509 have filed an application alongwith affidavits in this court under section 15 of Special marriage Act, 1954 and stating therein that they have solemnized their marriage on 14-12-2022 and they have been living together as husband and wife ever since then. Hence notices are given to all concerned and general public to this effect that if anybody has any objection regarding the registration of marriage duly solemnized on 14-12-2022 between Sh. Arun Sharma s/o Sh. Rajnand Sharma, r/o H. No. 97 A Ward No. 09, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur (H.P.) and Amandeep Kaur d/o sh. Boota Singh, r/o # 488, Rajgarh Kubbe, Bathinda, Punjab-151 509. He/She should file written objections and appear personally or through an authorized agent before this court within 30 days from the date of issue of this notice. After expiry of the said period, the marriage certificate would be issued to the applicants by this court.

Issued under my hand and office seal of this court on 31-07-2026.

Seal.

Sd/-
(DWIJ GOEL, IAS),
*Marriage Officer-cum-SDM,
Paonta Sahib, District Sirmaur (H.P.).*

ब अदालत श्री विनोद कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील नौहराधार,
जिला सिरमौर (हि0प्र0)

श्रीमती नीलम कुमारी पुत्री श्री लेख राम, निवासी भोग भटेवड़ी, डाकघर व तहसील नौहराधार, जिला सिरमौर, हि0प्र0।

बनाम

आम जनता

उपरोक्त प्रार्थिया श्रीमती नीलम कुमारी पुत्री श्री लेख राम, निवासी भोग भटेवड़ी, डाकघर व तहसील नौहराधार, जिला सिरमौर, हि0प्र0 ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि 26-04-1983 है और उसे ग्राम पंचायत/नगर पालिका नौहराधार के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थिया अब दर्ज करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 29-08-2026 से पूर्व इस अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे बसूरत दीगर नीलम कुमारी की जन्म तिथि को पंचायत रिकॉर्ड में दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित पंचायत सचिव को जारी कर दिए जावेंगे।

आज दिनांक 30-07-2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा मोहर सहित अदालत से द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
नौहराधार, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

CHANGE OF NAME

I, Surjit Singh (74 yrs.) s/o Late Sh. Gokal Dass, r/o Vill. Tanda Holta, P.O. Rajpur, Tehsil Palampur, Distt. Kangra (H.P.)-176 061 declare that I have changed my name from Surjit Singh Bhatia to Surjit Singh. All concerned may note.

SURJIT SINGH
s/o Late Sh. Gokal Dass,
r/o Vill. Tanda Holta, P.O. Rajpur,
Tehsil Palampur, Distt. Kangra (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Jasbir Singh s/o Sh. Ranjeet Singh, r/o Village Moch Uparla, P.O. Sunet, Tehsil Fatehpur, Distt. Kangra (H.P.) declare that in Aadhar Card of my minor daughter bearing No. 5109 0245 9080, her name is wrongly entered as Prinkya. Whereas, her correct name is Priyanka. She shall be known as Priyanka for all purposes in future. All concerned please note.

JASBIR SINGH
s/o Sh. Ranjeet Singh,
r/o Village Moch Uparla, P.O. Sunet,
Tehsil Fatehpur, Distt. Kangra (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Puneet Sharma s/o Sh. Lalman, Village Nau, P.O. Aut, Tehsil Aut, District Mandi, Himachal Pradesh, Pin Code-175 121, pertaining Aadhar Card No. 9792 5440 6885, in Aadhar Card of my minor daughter having Aadhar Card No. 4567 3571 2147, her name is wrongly entered as Swasti Sharma. Whereas, her correct name is Swastika.

PUNEET SHARMA
s/o Sh. Lalman,
Village Nau, P.O. Aut,
Tehsil Aut, District Mandi,
Himachal Pradesh, Pin Code-175 121.

CORRECTION OF NAME

I, Guddo Devi w/o Late Sh. Amar Singh, r/o Ward No. 04, V.P.O. Dehan, Tehsil Palampur, Distt. Kangra (H.P.) declare that in my Aadhar Card my name is incorrectly entered as Guddi Devi. That my correct name is Guddo Devi. Concerned note.

GUDDO DEVI
w/o Late Sh. Amar Singh,
r/o Ward No. 04, V.P.O. Dehan,
Tehsil Palampur, Distt. Kangra (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Jagdish Kumar s/o Sh. Ram Rattan, r/o Kot (468), Teh. Kandaghat, Solan (H.P.) declare that I have changed my minor daughter's name from Karitika to Kritika Thakur. Please note all concerned for further.

JAGDISH KUMAR
s/o Sh. Ram Rattan,
r/o Kot (468),
Teh. Kandaghat, Solan (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Gurcharni Kaur w/o Sh. Wattan Chand, V.P.O. Takka, Tehsil & Distt. Una (H.P.) declare that my name Charni Devi w/o Sh. Batan Chand is wrongly entered in my Aadhar Card instead of my correct name Gurcharni Kaur w/o Sh. Wattan Chand. So in future, kindly mention in my Aadhar Card correct name Gurcharni Kaur w/o Sh. Wattan Chand.

GURCHARNI KAUR
w/o Sh. Wattan Chand,
V.P.O. Takka,
Tehsil & Distt. Una (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Sunil Kaushal s/o Sh. Radhe Lal, r/o Vill. Gharsi Brahmana, Teh. Kasauli, Distt. Solan (H.P.) declare that my minor son's name has been wrongly written as Devyansh Kaushal instead of his correct name Divyansh Kaushal in his Aadhar Card, No. 9260 4838 6704. All concerned please may note.

SUNIL KAUSHAL
*s/o Sh. Radhe Lal,
r/o Vill. Gharsi Brahmana,
Teh. Kasauli, Distt. Solan (H.P.).*

CHANGE OF NAME

I, Aniket Sohta s/o Late Sh. Surinder Sohta, r/o Shahun (93), P.O. Garog, Tehsil Kotkhai, Distt. Shimla (H.P.) hereby change my minor daughter's name from "Aayat Sohta" (born at Kamla Nehru Hospital) to "Shree Sohta". All concerned please may note.

ANIKET SOHTA
*s/o Late Sh. Surinder Sohta,
r/o Shahun (93), P.O. Garog,
Tehsil Kotkhai, Distt. Shimla (H.P.).*

CORRECTION OF NAME

I, Gauri w/o Sh. Seti Ram, r/o Kmla Niwas, Ward No. 12, Tehsil & Distt. Shimla Shakralla, (H.P.) declare that my daughter's correct name is Kashish which is wrongly entered as Kashis in the Aadhar Card. Correct details should be read in all future records.

GAURI
*w/o Sh. Seti Ram,
r/o Kmla Niwas, Ward No. 12,
Tehsil & Distt. Shimla Shakralla, (H.P.).*

CHANGE OF NAME

I, Dromti Devi w/o Sh. Shisan Singh, r/o Village Kuther, P.O. Chailchowk, Teh. Chachyot, Distt. Mandi (H.P.) wants to correct my name as Dromti Devi instead of Dumarti in Aadhar records. All concerned please note.

DROMTI DEVI
*w/o Sh. Shisan Singh,
r/o Village Kuther, P.O. Chailchowk,
Teh. Chachyot, Distt. Mandi (H.P.).*

CORRECTION OF NAME

I, Monika w/o Sh. Anil, r/o Vill. Lakadhar, P.O. Gawas, Sub-Tehsil Jangla, Distt. Shimla (H.P.) declare that my daughter's name is wrongly mentioned as Kaki in her Aadhar Card No. 9080 6678 4301. Therefore, it should be changed to Akshita Brakta in Aadhar Card. Note the relevant information.

MONIKA
w/o Sh. Anil,
r/o Vill. Lakadhar, P.O. Gawas,
Sub-Tehsil Jangla, Distt. Shimla (H.P.).
